भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3044
जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

## न्यायपालिका में पारदर्शिता

**3044. श्री माथेश्वरन वी. एस. :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायाधीशों को उनकी आस्तियों और देयताओं की वार्षिक रूप से घोषणा करने के लिए अनिवार्य बनाने वाला कानून अधिनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विधान को कब तक अधिनियमित किए जाने की संभावना है ;

(ग) क्या उच्च न्यायालयों द्वारा वार्षिक प्रतिवेदनों के प्रकाशन के संबंध में न्याय विभाग द्वारा दिनांक 19.06.23 को जारी किए गए पत्र पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) और (ख)** : उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम,1958 और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम,1954 तथा उसके पश्चात् बनाए गए नियमों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा आस्तियों की घोषणा करने का कोई उपबंध नहीं है । तथापि, तारीख 07.05.1997 को उच्चतम न्यायालय की पूर्ण न्यायालय बैठक द्वारा अंगीकृत "न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनःकथन", कतिपय न्यायिक मानकों को अधिकथित करता है जिसका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा अनुसरण किया जाता है । उच्चतम न्यायालय की अपनी पूर्ण न्यायालय बैठक तारीख 07 मई, 1997 में अंगीकृत किए गए मानकों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के प्रत्येक न्यायाधीश, जिनमें मुख्य न्यायमूर्ति भी है, के लिए नियुक्ति के समय और उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष के आरंभ में उसकी अपनी आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करने के लिए इसे अनिवार्य बनाने हेतु और उपबंध किया गया है । पूर्ण न्यायपीठ ने अपनी बैठक तारीख 26 अगस्त, 2009 में यह विनिश्चय किया था कि संकल्प तारीख 07 मई, 1997 के आधार पर न्यायाधीशों द्वारा प्रस्तुत आस्तियों का पुनर्कथन उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर डालकर जनता के समक्ष प्रकट किया जाए। इसके अतिरिक्त, पूर्ण न्यायालय ने अपनी बैठक तारीख 08 सितम्बर, 2009 में 31 अक्तूबर, 2009 को या उससे पूर्व उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर आस्तियों की घोषणा डालने का संकल्प किया था और यह पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर है ।

**(ग) और (घ) :** भारत के न्यायमूर्ति और उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों को न्याय विभाग द्वारा पत्र तारीख 19.06.2023 जारी किया गया था जिसके अधीन सभी उच्च न्यायालयों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने और उसे अपनी-अपनी वेबसाइट पर डालने की आवश्यकता पर कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के विचार सूचित किए गए थे ।

*********